अन्तिम डिक्री मूल वाद पत्र

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–52/2008

रामधन पुत्र लालूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

—— वादी

—:बनाम:—

1. सहीराम (फौत)

1/1. भागवन्ती पत्नि स्वः सहीराम

1/2. कैलाशकुमार पि. सहीराम

1/3. नौरंगलाल

जाति मेघवाल (चमार) साकिन हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

1/4. द्रोपती पुत्री स्वः सहीराम पत्नि मनफूल जाति जाति मेघवाल साकिन गणेशगढ़ तहसील व जिला श्री गंगागनर राजसथान।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

दिनांक :–26/11/2024

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जसपाल सिंह दहिया प्रतिवादीगण की ओर से श्री जगजीत सिंह रमाणा अधिवक्ता एवं राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार खाता विभाजन कर अन्तिम डिक्री की जाती है–

1. **रामधन पुत्र लालूराम जाति मेघवाल (चमार) निवासी हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगाः–**

   चक 8 एचडीपी के प.नं. 10/255(21) कि.नं. 20/.038, 21/.253, की कुल 0.291 हैक्ट. नहरी मय खाला प.नं. 10/256(32) किला नं. 11 ता 13/.759 हैक्ट. नहरी, 14/1/0.127 की कुल 0.886 हैक्ट. दोनों पत्थरों की कुल 1.177 हैक्ट. नहरी मय गैर मुमकिन खाला।

2. **सहीराम (फौत) भागवन्ती पत्नि स्व. सहीराम, कैलाश कुमार, नौरंग लाल पुत्रगण स्व. सहीराम साकिन हरदयालपुरा तहसील पीलीबंगा जिला श्रीगंगानगर, द्रोपती पिसरान स्व. सहीराम पत्नि मनफूल जाति मेघवाल निवासी गणेशगढ जिला श्री गंगानगरः–**

   चक 8 एचडीपी के प.नं. 10/255(21) किला नं. 20/0.215 नहरी व प.नं. 12/256(30) किला नं. 3/.253, 9/2/.126 हैक्ट. कुल 0.379 हैक्ट. अनकमाण्ड कुल दोनों पत्थरों की 0.594 हैक्ट. कमाण्ड–अनकमाण्ड ब.हि.ब.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:02 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा की आदिशित कि[illegible] है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें [illegible] अन्[illegible] किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना [illegible] की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के [illegible] की दशा मे स्थिति में [illegible] राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग [illegible] कायम किया जावे तथा [illegible] की किस्म (यथा नहरी /बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.11.28 10:29:02 IST
Reason: SelfAttested